न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश, बर, जिला ब्यावर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनीषा शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत आवेदन पत्र संख्या – 95/2026

दीपेन्द्र सिंह पुत्र शिव सिंह, उम्र 21 साल, निवासी धोलिया, पुलिस थाना सेन्दड़ा, जिला ब्यावर (राज.)

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

विरूद्ध

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बर।

..... **अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 97/2026, पुलिस थाना – बर
अपराध अंतर्गत धारा 137(2), 127(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थिति –
1. श्री वीरेन्द्र सैन, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश बागड़ी, विद्वान अधिवक्ता परिवादिया श्रीमती कमला देवी की ओर से।
3. श्री राजेन्द्र बागड़ी, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से उपस्थित।

।। आदेश ।।

दिनांक – 09.07.2026

(1) **प्रार्थी/अभियुक्त** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर, जिला ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 दिनांक 04.07.2026 द्वारा खारिज होने पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पेश किया गया। जमानत प्रार्थना–पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रकरण से

संबंधित केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जमानत प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

(2) प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि **दिनांक 22.06.2026** को **परिवादिया श्रीमती कमला देवी** ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट पुलिस थाना बर में इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.06.2026 को परिवादिया अपने परिवार के साथ सो रही थी। रात्रि समय 04:00 बजे जब परिवादिया पानी पीने के लिये उठी तो उसकी पुत्री लक्ष्मी जिसकी उम्र–14 वर्ष है, अपने बिस्तर पर नहीं थी। परिवादिया ने सोचा कि शौच के लिये गई होगी। लेकिन काफी देर तक लक्ष्मी वापस नहीं आई तो परिवादिया ने अपने पुत्र के साथ ढूंढना शुरू किया व अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी पूछा, लेकिन लक्ष्मी का कहीं पता नहीं चला। परिवादिया के पति का टच स्क्रीन वाला फोन उसकी पुत्री लक्ष्मी लेकर चली गई, इत्यादि।

(3) दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में झूंठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की बरामदगी करना शेष नहीं है। प्रार्थी एक इज्ज़तदार परिवार से है, जिसे जमानत का लाभ नहीं दिया गया तो उसके चरित्र पर बुरा असर पड़ेगा। प्रार्थी अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, जिसे जमानत का लाभ नहीं दिया गया तो उसका परिवार अपना पालन–पोषण नहीं कर पायेगा। प्रकरण के आगामी अन्वेक्षण व विचारण में काफी लम्बा समय लगेगा। प्रार्थी के निवास स्थान पर चल व अचल सम्पत्ति स्थित है, जिससे प्रार्थी के भागने व फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है और ना ही गवाहान को डराने व धमकाने का कोई अंदेशा है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार अपनी मौतबीर जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

(4) विद्वान अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादिया ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध की गंभीरता की ओर संकेत करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का प्रबल विरोध किया। अधिवक्ता परिवादिया ने परिवादिया श्रीमती कमला देवी के आधार कार्ड व लक्ष्मी के आधार कार्ड की प्रति पेश की।

(5) उभय पक्ष को सुना गया, तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

(6) प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में लंबित **आपराधिक प्रकरण** की सूची प्रस्तुत की, जो निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	**मुकदमा नम्बर**	**पुलिस थाना**	**धारा**	**चालान नम्बर व दिनांक**	**विवरण**
1.	147/2024	बर	303(2) भारतीय न्याय संहिता	63/30.09.2024	जैर ट्रायल

(7) प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवादिया श्रीमती कमला देवी की पुत्री लक्ष्मी जो कि नाबालिग है, को उसकी माता की विधिपूर्ण संरक्षता में से बहला–फुसलाकर ले जाकर उसका व्यपहरण करने का आरोप है। परिवादिया की पुत्री लक्ष्मी के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान का अवलोकन किया गया, जिसमें लक्ष्मी ने कथन किया कि "दिनांक 20.06.2026 को मैं मेरे दोस्त दीपेन्द्र सिंह के साथ घर से उसकी मोटरसाईकिल पर सोजत गई थी। मैं उसके साथ घुमने गई थी। मैं अपनी मर्जी से गई थी। दस दिनों मे मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। मैं घर के कामों और पिताजी की बीमारी से परेशान होकर चली गई थी।" इसके अतिरिक्त लक्ष्मी द्वारा स्वयं का मेडिकल नहीं करवाया जाकर उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होने का कथन भी अभिलिखित किया है। अभियुक्त पर आरोपित आरोप, मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्त का दिनांक 03.07.2026 को गिरफ्तार होकर अभिरक्षा में होना दर्शित है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी नहीं करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

(8) परिणामतः **प्रार्थी/अभियुक्त दीपेन्द्र सिंह पुत्र शिव सिंह**, उम्र 21 साल, निवासी धोलिया, पुलिस थाना सेन्दड़ा, जिला ब्यावर (राज.) की ओर से प्रस्तुत **जमानत** का **प्रार्थना पत्र** अंतर्गत **धारा 483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, **स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के

संतोषप्रद 50,000/– रुपये का मुचलका व 25,000–25,000/– रुपये की राशि की दो सुदृढ़ प्रतिभूति, इस शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि वह आईन्दा प्रत्येक तारीख पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे, बशर्ते उसकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो।

(मनीषा शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, बर,
जिला ब्यावर

(9) आदेश आज **दिनांक 09.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

(मनीषा शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, बर,
जिला ब्यावर

MANISH GOYAL
Stenographer Grade-II nd
"Authenticate Document"
Digitally signed by MANISH GOYAL
Date: 2026.07.09 17:10:49 +0530